अपील सूचना अधिकार संख्या 54/2021 (GCMS 2021/83) (RTI 212723953448215) नेतराम पुत्र श्री जयमलराम जाति जाट निवासी गांव सरदारपुरा जीवन तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (मो.नं. 9982060018) बनाम तहसीलदार (राजस्व), सादुलशहर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

16.11.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री नेतराम अनुपस्थित नहीं है। **मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने** अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 11.05.2021 से लोक सूचना अधिकारी से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार, सादुलशहर से निःशुल्क सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 18.06.2021 को पेश की है।

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 11.05.2021 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थीः

> प्रशासन गांव के संग अभियान फरवरी 2013 में खाता विभाजन चक 1, 3, 4 एसपीएम का हुआ, जिसमें सहमति पत्र दिया है। जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि के बाबत।

तहसीलदार (भू.अ.), सादुलशहर ने अपने पत्रांक भू.अ./सू.का.अ./2021/2388 दिनांक 15.07.2021 से अपील का जवाब निम्नानुसार दिया हैः

> उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सम्बन्ध में निवेदन है कि प्रार्थी ने आवेदन पत्र दिनांक 11.05.2021 (प्राप्त 17.05.2021) के द्वारा प्रशासन गांव के संग अभियान फरवरी 2013 में खाता विभाजन चक 1, 3, 4 एसपीएम की पत्रावली की नकल चाही है। कार्यालय रिकॉर्ड में तलाश करने पर उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:28:54 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

पत्रावली उपलब्ध नहीं हुई है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी का आवेदन अस्वीकार कर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक भू.अ./2021/2018 दिनांक 17.06.2021 के द्वारा सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक दिये गए पता पर भिजवा दी गई थी। चित्रप्रति अवलोकनार्थ संलग्न हैं

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

-sd-
(हरीश टाक)
तहसीलदार (भू.अ.)
सादुलशहर

तहसीलदार(भू.अ.), सादुलशहर ने अपने भू.अ./2021/2018 दिनांक 17.06.2021 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र से आपके द्वारा प्रशासन गांवो के संग अभियान फरवरी 2013 मे चक 1,3,4 एसपीएम का खाता विभाजन हुआ था, जिसमे सहमति पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने बाबत निवेदन किया है। कार्यालय रिकॉर्ड की तलाश करने पर उक्त मूल पत्रावली प्राप्त उपलब्ध नहीं हुई है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्रदान करना अपेक्षित है, जो कि लोक प्राधिकरण अधिकारी के पास पहले से मौजूद है या उसके नियंत्रण में है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना अपेक्षित नहीं है। चूंकि आपके द्वारा चाही गई सूचना से संबंधित मूल पत्रावली कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। अतः आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 11.05.2021 इस कार्यालय में प्राप्त दिनांक 17.05.2021 अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।

Signature Not Verified -sd-
Digitally signed by Zakir Hussain (हरीश टाक)
Date: 2021.12.20 12:28:54 IST तहसीलदार (भू.अ.)
Reason: SelfAttested सादुलशहर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं का जवाब तहसीलदार (भू.अ.), सादुलशहर द्वारा दिनांक 17.06.2021 को दिया जा चुका है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचन से सम्बन्धित मूल पत्रावली कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं **कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है।** लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की भी कोई गुंजाईश नहीं है।** इसलिए तहसीलदार (भू.अ.), सादुलशहर ने अपीलार्थी को जो उत्तर दिया है, वह सही है और उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं। इसलिए अपीलार्थी की अपील

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:28:54 IST
Reason: SelfAttested

यहां से **खारिज करने योग्य है। फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए तहसीलदार, सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना तालाश कर उसे सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानानुसार उपलब्ध करवा दी जावे।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति **तहसीलदार(भू.अ.), सादुलशहर को पालनार्थ** एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 16.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जाकिर हुसैन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:28:54 IST
Reason: SelfAttested